

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामीर मे जारी हुए

गार्धी वकील की अटस बुनी गयी एवं
फावली पट उपलब्ध सभी दस्तावेजों
का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार रिपोर्ट ले लपल है कि -

“खातेदार/गार्धी की भूमि पट
जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है एवं
वर्तमान में उपयोग में भी लिया
जा रहा है”। ऐसी स्थिति में
गार्धी का गार्धना - पत्र स्वीकार किया
जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः न्यायहित में गार्धी का
गार्धना - पत्र खारिज किया जाता है।
फावली फैसल की जाक नम्बर से
कम करीये हुये दाखिल दफतर की जाती
है।

W.S.

उप जिला कलेक्टर
घोष का बरवाड़ा

